हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (ह.श.वि.प्रा.)

सी–3, सैक्टर–6, पंचकूला।

शहरी सम्पदा हांसी (हिसार), डबवाली (सिरसा), बल्ल्भगढ (फरीदाबाद), गोहाना (सोनीपत) में राजनैतिक दलों हेतु भूखंडों के आबंटन हेतु नियम व शर्ते।

1. निम्नलिखित शहरी संपदाओं में राजनैतिक दलों हेतु भूखंडों का विवरण व लागू दरें निम्न हैः–

कम संख्या	शहरी संपदा का नाम व सैक्टर	स्थलों का संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	दर प्रति वर्ग मी. (रूपये)	कुल अनुमानित लागत (रूपये)	कुल अनुमानित लागत के 10% की दर से धरोहर राशि
1	गोहाना, सैक्टर–16	1	2104	16,000/–	3,36,64,000/–	33,66,400/–
2	बल्ल्भगड. (फरीदाबाद), सैक्टर–3, पार्ट–2 बल्ल्भगढ (फरीदाबाद)	1	832.27	55,000/–	4,61,04,960/–	46,10,496/–
3	हांसी सैक्टर–6, पार्ट–2 हांसी	1	1254	16,000/–	2,00,64,000/–	20,06,400/–
4	डबवाली, सैक्टर–10, डबवाली (डबवाली–सिरसा रोड)	1	2023	16,000/–	3,23,68,000/–	32,36,800/–

नोटः– उपरोक्त भूखंडों का क्षेत्रफल मौके पर पैमाईश के दौरान घट–बढ सकता है तथा उपरोक्त की दरों में किसी प्रकार की बढोतरी होती है तो वह अलग से वसूल की जाएगी।

2. इच्छुक और पात्र राजनैतिक दल इसके आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

3. भूखण्डों की कुल अस्थाई लागत का 10 प्रतिशत एक निर्धारित अग्रिम धनराशि के रूप में वेबसाइट www.hsvp.org.in पर आनॅलाइन माध्यम से जमा करना होगा।

4. आबंटन ह.श.वि.प्रा. की नवीनतम नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

5. प्राप्त आवेदनों की गठित समिति द्वारा जांच कर गुणावगुण के आधार पर संस्तुति की जाएगी। तदानुसार आबंटन प्राधिकरण के यादि क्रमांक 45333 दिनांक 19.12.2013 व 4233–42 दिनांक 23.02.2016 द्वारा जारी किए गए नीति निर्देश के अनुसार किया जाएगा।

6. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों व चालान की एक प्रति संबंधित शहरी सम्पदा हांसी (हिसार), डबवाली (सिरसा), बल्ल्भगढ (फरीदाबाद), गोहाना (सोनीपत) में दिनांक 14.11.2025 सांय 5.00 बजे से पूर्व जमा करवाना होगा।

7. आबंटित भूखंडों के संबंध में भविष्य में सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारित बढे हुये मुआवजे, यदि कोई है, की समानुपातिक देयता आबंटी को द्वारा देय होगी।

8. इन भूखंडों के आबंटन के समय ह.श.वि.प्रा. की संस्थागत भूखंडों (राजनैतिक दलों हेतु) जो दरें लागू होंगी, वह दरें आबंटी से वसूल की जाएगी।

Scanned with CamScanner